न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर वेन्च रीवा सम्भाग

रीवा (म0प्र0)

Rs-20/—

R-2792-II/14

रामविशाल पिता नन्दलाल वानी निवासी ग्राम नौढ़िया आवाद तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0 ——आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

गणेश पिता जमुना प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम नौढ़िया आवाद तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0 ——अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

श्री महेन्द्र सिंह एड के द्वारा आज दिनांक 5-8-14 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय देवसर जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश के प्रकरण क्रमांक 180/अपील/2012×13 मे पारित आदेश दिनांक 15/7/2014 पारित अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट–1963।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959।

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य—

1—यह कि ग्राम नौढिया आवाद तहसील देवसर की भूमि खसरा क्र0 71/2 रकवा 0.012 हे0 एवं 73/1 रकवा 0.008 हे0 किता 2 योग रकवा 0.020 हे0 अर्थात 0.05 एकड़ भूमि आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के भूमिस्वामी स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमियां थी, जिसका पूरे रकवे पर आवेदक की आवादी बनी हुई है, जिसमे आवेदक सपरिवार निवास करता चला आ रहा है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 2792-दो/14 जिला सिंगरोली

रामविशाल वानी / गणेश प्रप्पा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.2.16	मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के ग्राह्यता पर तर्क सुने तथा इस एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया। निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी मेमो के बिन्दुओं को दोहराते हुए तर्क किया कि उन्हें ना तो विचारण न्यायालय में ना ही अपील में सुनवाई का अवसर मिला, अतः निगरानी ग्राह्य की जाए। गैरनिगराकार अधिवक्ता का तर्क था कि SDO द्वारा आक्षेपित आदेश से अपील समयबाधित होने के कारण इसलिए खारिज की गई है क्योंकि निगराकार विचारण न्यायालय के समक्ष दि 8.10.12 एवं 15.10.12 को उपस्थित था, वहाँ उसने सहमति दी थी, इसके बावजूद आदेश दि 18.10.12 के विरुद्ध उसने 16.9.13 को अपील प्रस्तुत की। उन्होंने यह भी कहा कि SDO का आदेश अन्तिम आदेश था जिसके विरुद्ध निगराकार को निगरानी में आने की बजाय द्वितीय अपील करनी चाहिए थी।	

[कृ. प. उ.

R. 2792/III/14 Rohit

स्थान तथा दिनांक	९/अप्रैल/२०१८ कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तर्कों के प्रकाश में अभिलेखों के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि निगराकार रामविशाल के तहसील न्यायालय के विषयांकित प्र.क्र. 9/अ27/12-13 की आदेश पत्रिका में दि. 8-10-12 एवं 15-10-12 को हस्ताक्षर विद्यमान हैं, तथा 15-10-12 की प्रोसीडिंग में आदेश हेतु दि 18-10-12 भी लिखी है। यह भी सही है कि SDO का आक्षेपित आदेश एक अन्तिम आदेश था जिसके विरुद्ध निगरानी में रा.मं. आने के पूर्व द्वितीय अपील आयुक्त या अपर आयुक्त के समक्ष की जा सकती थी जो नहीं की गई। उपरोक्त बिन्दुओं एवं विवेचना के प्रकाश में और आधार पर मैं इस निगरानी को ग्राह्य किए जाने योग्य नहीं पाता हूँ तथा इसी प्रक्रम पर खारिज करता हूँ। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। रिकार्ड वापस हों। प्रकरण समाप्त। दा.द. हो। (सदस्य)	
M		

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.